

आदेश

विभागीय अधिसूचना सं०-2143, दिनांक-12/10/07 के आलोक में राज्य के अन्तर्गत राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद से सम्बद्ध पोलिटेकनिक संस्थानों के अभातशिप से नामांकन क्षमता के अवधि विस्तार, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद से संबद्धन, संबद्धन के अवधि विस्तार एवं शैक्षणिक अनुश्रवण के उद्देश्य से, प्रत्येक प्रमण्डल के अन्तर्गत स्थित पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए एक शैक्षणिक अनुश्रवण समिति का निम्न प्रकार से गठन किया जाता है :-

क्रम सं०	प्रमण्डल	संस्थान	
1.	भागलपुर	(क) बिहार कॉलेज ऑफ ईंजीनियरिंग, भागलपुर के प्राचार्य	- अध्यक्ष।
		(ख) राजकीय पोलिटेकनिक भागलपुर के प्राचार्य	- सदस्य।
2.	छपरा	(क) राजकीय पोलिटेकनिक छपरा के प्राचार्य	- अध्यक्ष।
		(ख) राजकीय पोलिटेकनिक गोपालगंज के वरीयतम व्याख्याता	- सदस्य।
3.	दरभंगा	(क) दरभंगा ईंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा के प्राचार्य	- अध्यक्ष।
		(ख) राजकीय पोलिटेकनिक दरभंगा के प्राचार्य	- सदस्य।
4.	कोशी (सहरसा)	(क) मधेपुरा अभियन्त्रण महाविद्यालय के प्राचार्य	- अध्यक्ष।
		(ख) राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा के प्राचार्य	- सदस्य।
5.	मगध (गया)	(क) गया ईंजीनियरिंग कॉलेज, गया के प्राचार्य	- अध्यक्ष।
		(ख) राजकीय पोलिटेकनिक गया के प्राचार्य	- सदस्य।
6.	मुँगेर	(क) राजकीय पोलिटेकनिक बरौनी के प्राचार्य	- अध्यक्ष।
		(ख) राजकीय पोलिटेकनिक मुजफ्फरपुर के वरीयतम व्याख्याता	- सदस्य।
7.	पटना	(क) नालन्दा अभियन्त्रण महाविद्यालय, नालन्दा के प्राचार्य	- अध्यक्ष।
		(ख) नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13 के प्राचार्य	- सदस्य।
8.	पूर्णियाँ	(क) राजकीय पोलिटेकनिक पूर्णियाँ के प्राचार्य	- सदस्य।
		(ख) राजकीय पोलिटेकनिक सहरसा के वरीयतम व्याख्याता	- सदस्य।
9.	तिरहुत (मुजफ्फरपुर)	(क) एम०आई०टी० मुजफ्फरपुर के प्राचार्य	- अध्यक्ष।
		(ख) राजकीय पोलिटेकनिक मुजफ्फरपुर के प्राचार्य	- सदस्य।

उप परीक्षा नियंत्रक (उनकी अनुपस्थिति में सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद द्वारा मनोनित पदाधिकारी) स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के सहायक सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।

2. यह समिति अभातशिप के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मापदण्डों के अनुरूप शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तथा राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के पाठ्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु संस्थानों का निरीक्षण कर संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन की एक-एक प्रति निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग एवं सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद को उपलब्ध कराएगी।

3. उक्त शैक्षणिक अनुश्रवण समिति विभाग द्वारा किये गये पूर्व निरीक्षण के प्रतिवेदन, संस्थान द्वारा समर्पित compliance report एवं अवधि विस्तार हेतु संस्थानों द्वारा दिये गये प्रपत्र आदि में उद्धृत shortfall के साथ-साथ अभातशिप के अवधि विस्तार हेतु मार्गदर्शिका के आलोक में भी निरीक्षण सुनिश्चित करेगी।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1424 /पटना, दिनांक :-11/06/2009
प्रतिलिपि :- प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटिकनिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1424 /पटना, दिनांक :-11/06/2009
प्रतिलिपि :- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वद के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1424 /पटना, दिनांक :-11/06/2009
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।